न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बइजलास राजेशा डागा आर0ए0एस0 मु.नं. 42/19

रामकिशन पुत्र पन्नालाल दोहिता (नवासा) श्रवण आयु 59 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित —

वादी की आरे से— विद्धान अधिवक्ता महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से— नायब तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

निर्णय

दिनांक— 15.07.2020

वादी ने एक वाद उक्त उनवान का इस आशय का माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074—77 खाता संख्या नया 314 के खसरा नं. 133 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 148 की रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 68 की रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 69 की रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 72 की रकबा 1.95 है0, खसरा नं. 74 की रकबा 0.45 है0 कुल किता 6 की कुल रकबा 3.32 हैक्टर आराजी स्थित है। जो वादी को उसके बाल अवस्था में उसके नाना श्रवण जी ने दी थी तथा उस समय वादी के नाना ने खाते लगाई तब से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामकिशन दोहिता (नवासा) श्रवण जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट दर्ज हो रहा है तथा आज भी राजस्व रेकार्ड में यही दर्ज है। जबकि वादी के पिता का नाम पन्नालाल है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेजात रामकिशन पुत्र पन्नालाल के बने हुऐ है तथा वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता आदि सभी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

दस्तावेजों में वादी का नाम रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट दर्ज हो रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं वादी के अन्य दस्तावेजात में वल्दीयत की भिन्नता आने एवं सभी पहचान के दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम पन्नालाल दर्ज होने एवं राजस्व रेकार्ड में नानाजी का नाम दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा वादी को कृषि ऋण लेने, बिजली का कनेक्शन लेने, सरकारी लाभ प्राप्त करने आदि मे भारी परेशानी आ रही है इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में भी इन्द्राज दुरूस्त करवाकर वादी का नाम रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 दर्ज करवाना चाहता है जिसका वादी को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है। वाद दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से दिनांक 26.11.2019 को जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम जमाबंदी में रामकिशन दोहित्रा श्रवण के स्थान पर रामकिशन पुत्र पन्नालाल करना चाहता है। जिसमें राजहित प्रभावित नही होते हैं। अतः रामकिशन दोहित्रा श्रवण के स्थान पर रामकिशन पुत्र पन्नालाल किये जाने मे कोई आपत्ती नही है। जवाब प्रतिवादी शामिल पत्रावली किया गया तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादी को कानूनन विधिक अधिकार हासिल है कि वह माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या नया 314 के खसरा नं. 133 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 148 की रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 68 की रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 69 की रकबा 0. 10 है0, खसरा नं. 72 की रकबा 1.95 है0, खसरा नं. 74 की रकबा 0.45 है0 कुल किता 6 की कुल रकबा 3.32 हैक्टर आरांजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामकिशन दोहित्रा (नवासा) श्रवण के स्थान पर दुरूस्त कर रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास दर्ज करवा लेवें।

–वादी

2. आया दुरूस्ती किये जाने में कोई आपत्ती नही है। – प्रतिवादी
3. दादरसी।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उक्त तनकियात में तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी के दौरान पी0डब्ल्यू0– 1 स्वयं वादी के बयान लेखबद्ध करवाये जिसमें वादी ने अपने वाद को पूर्णतया तायद किया है तथा साथ ही वादी द्वारा ग्राम पंचायत धूलेट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र नकल जमाबंदी माल धूलेट नया खाता संख्या नई 310, बैंक पास बुक, वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड को प्रदर्शित करवाया गया। सम्पूर्ण पत्रावली साक्ष्य वादी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजता एवं जवाब प्रतिवादी का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि रामकिशन श्रवण जी को दोहित्रा था तथा श्रवण जी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के खाते दर्ज करवाई तब राजस्व रेकार्ड में रामकिशन दोहित्रा श्रवण दर्ज करवा दिया जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट दर्ज हो रहा है। इसलिए वादी का नाम व वल्दीयत शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम
धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खाता संख्या
नया 314 के खसरा नं. 133 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 148 की रकबा 0.19 है0,
खसरा नं. 68 की रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 69 की रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 72 की
रकबा 1.95 है0, खसरा नं. 74 की रकबा 0.45 है0 कुल किता 6 की कुल रकबा 3.32
हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामकिशन दोहित्रा श्रवण के स्थान
पर दुरूस्त कर रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील
कनवास जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादी को उक्त विवादग्रस्त
आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

<u>अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

<u>बउनवान</u>

रामकिशन पुत्र पन्नालाल दोहिता (नवासा) श्रवण आयु 59 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट</u>

मुकदमा नं. **42/19** सन **2019** तारीख फैसला **15.07.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खाता संख्या नया 314 के खसरा नं. 133 की रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 148 की रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 68 की रकबा 0.28 है0, खसरा नं. 69 की रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 72 की रकबा 1.95 है0, खसरा नं. 74 की रकबा 0.45 है0 कुल किता 6 की कुल रकबा 3.32 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामकिशन दोहित्रा श्रवण के स्थान पर दुरूस्त कर रामकिशन पुत्र पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा दर्ज किया जावें। तद् अनुसार वादी को उक्त विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.07.2020** माह जुलाई 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा					
मुतफर्रिक					
मीजान			मुतफर्रिक		
			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास